न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेन्द्र कुमार RAS

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. व धारा 136 एल.आर.एक्ट

अनुवान जयपाल **बनाम** राजस्थान सरकार आदि

वादपत्र संख्या 12 वर्ष 2025

–:: **निर्णय** ::– दिनांकः– 16.06.2025

यपाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चूरू
राजो पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
रोहिताश पुत्र स्व. शिशपाल जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
सोनवीर पुत्र स्व. शिशपाल जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
सिलोचना पुत्री स्व. शिशपाल जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
फुसाराम पुत्र मुंशीराम उर्फ मंशाराम जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
रणजीत पुत्र मुंशीराम उर्फ मंशाराम जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू
शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा तारानगर जिला चूरू
शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

0. राकेश कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू

गौण प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक हस्ब दफा 88 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थितः–

1. श्री अशोक सिहाग साहवा एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री राजेश सांकरोत एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 2 व 10
3. पैरोकार राज तहसीलदार तारानगर प्रतिवादी संख्या 01।

–:: **निर्णय** ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वादी व गौण प्रतिवादी की खरीदशुदा कृषिभूमि रोही मौजा कैलाश के खाता सं. 70/69 के खसरा नं. 455/74 तादादी 1.1381 हेक्टेयर व खसरा नं. 457/74 तादादी 1.1381 हेक्टेयर कुल तादादी 2.2762 हेक्टेयर भूमि व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की कृषिभूमि रोही मौजा कैलाश के खाता सं. 220/216 के खसरा नं. 458/74 तादादी 3.1940 हेक्टेयर व प्रतिवादी सं. 6 व 7 की संयुक्त खातेदारी की कृषिभूमि रोही मौजा कैलाश के खाता सं. 124/121 के खसरा नं.456/74 तादादी 10.1539 हेक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यही विवादित कृषिभूमि है। नवीनतम जमाबंदी संलग्न वाद है। वादी व गौण प्रतिवादी की उक्त विवादित कृषिभूमि खसरा नं. 455/74 तादादी 1.1381 हेक्टेयर व खसरा नं. 457/74 तादादी 1.1381 हेक्टेयर भूमि खरीदशदा भूमि है जिसमें वादी के खसरा नं. 455/74 का विभाजन मुताबिक बैयनामा हो गया किन्तु खसरा नं. 457/74 का विभाजन मुताबिक बैयनामा दर्ज न होकर नक्शा तरमीम गलत से तरमीम हुआ है जो वादी व गौण प्रतिवादी तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 7 का कब्जा काश्त न होकर अनेक्चर 'क' के अनुसार कब्जा काश्त है। विवादित कृषिभूमि खसरा नं. 457/74 का कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम करवाने के लिये वादी, गौण प्रतिवादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के बीच मौखिक समझौता पूर्व में हो चुका है जिसके अनुसार वादी व गौण प्रतिवादी सं. 2 ता 7

का कब्जा काश्त अनेक्चर क' के अनुसार तरमीम करवाने के लिये सहमत हो चुके थे परन्तु प्रतिवादी सं. 2 ता 7 टाल मटोल करते चले आ रहे है। वादी व गौण प्रतिवादी के खरीदशुदा खसरा नं. 455/74 व 457/74 के बैयनामा एक ही दिन अलग अलग बैयनामा हुआ जिनकी तरमीम खसरा नं. 455/74 की मुताबिक बैयनामा हुई किन्तु खसरा नं 457/74 की तरमीम मुताबिक बैयनामा नहीं हुई। वादी व गौण प्रतिवादी का विवादित खसरा नं. 457/74 स्वयं वादी व गौण प्रतिवादी के दर्ज 455/74 के मिन पश्चिम में व प्रतिवादी सं. 6 व 7 के दर्ज 456/74 के मिन पूर्व में व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के दर्ज 458/74 के मिन उतर की ओर है जो मुताबिक कब्जा काश्त है।वादी व गौण प्रतिवादी तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 7 का मुताबिक कब्जा काश्त की अपनी कृषिभूमि का सम्पूर्ण कब्जा अपने पास मौजूद है मुताबिक जमांबदी मे दर्ज हिस्सा भूमि को लेकर वादी, गौण प्रतिवादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी व गौण प्रतिवादी ने प्रतिवादीगण सं. 2 ता 7 को मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने बाबत काफी बार कहा लेकिन दिनांक 03.12.2024 कर बमुकाम तहसील कार्यालय तारानगर में क्षेत्राधिकार ना होने का हवाला देते हुये साफ इन्कार हो गये। इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर विवादित कृषिभूमि के खसरा सं. 457/74 रोही ग्राम कैलाश को मुताबिक कब्जा काश्त अनेक्चर 'क' के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर तरमीम शुद्ध करने का अनुतोष चाहा।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। इस प्रकार प्रकरण तरमीम दुरूस्ती का होने से तहसीलदार तारानगर से मौका व स्थिती की वस्तु स्थिती रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश सांकरोत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार तारानगर की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आयें।

तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 व 10 द्वारा इकबाल दिये जाने के कारण वाद का खण्डन पेश नही हुआ है। जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया तनकी की आवश्यकता नही है। वकील वादी साक्ष्य नही करवाने के निवेदन किया गया व पैरोकार राज ने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया।

चूंकि प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वकील वादी की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दावा निर्णित करने का निवेदन किया।उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः तहसीलदार तारानगर से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 05.03.2025 द्वारा दावा की पुष्टी होती है। इस प्रकार वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी आदेश दिया जाता है कि विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम कैलाश के खसरा नं 457/74 के वर्तमान नक्शा की तरमीम को **Delete** कर इसे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 05.03.2025(जो पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया) के *"नजरी नक्शा मौका अनुसार"* अनुसार दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त फर्द मौका निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 18/6/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)